नियम 2 : परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(ख) ''न्यायनिर्णायक प्राधिकारी'' से उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (4) के अधीन यथा परिभाषित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ''अपील अधिकरण'' से अधिनियम की धारा 109 के अधीन स्थापित माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) अपील अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाहियों के संबंध में ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' से,–

(i) केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में ऐसी कार्यवाहियों में आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने, अभिवचन करने और कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति; या

(ii) ''किसी पक्षकारा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 116 के अधीन यथा उपबंधित अपील अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपस्थित होने, अभिवचन करने या कार्य करने के लिए लिखित रूप में या सम्यक रूप से स्टांपित वकालतनामे के माध्यम से प्राधिकृत व्यक्ति, अभिप्रेत है;

(ङ.) ''न्यायपीठ'' से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 में निर्दिष्ट अपील अधिकरण की न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(च) ''प्रमाणित प्रतिलिपि'' से पक्षकार द्वारा प्राप्त आदेश की मूल प्रति या दस्तावेज, या संबंधित विभाग द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित उसकी प्रति, या अपीलार्थी या प्रत्यर्थी के 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रति, अभिप्रेत है;

(छ) ''सीजीएसटी'' से केंन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ज) ''प्ररूप'' से नियमों के अधीन विहित प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) ''जीएसटीएटी पोर्टल'' से ऐसा वेब पोर्टल अभिप्रेत है जिसे अपील अधिकरण के कार्यों के लिए अध्यक्ष के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ञ) ''अंतर्वर्ती आवेदन'' से किसी आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही से भिन्न अपील अधिकरण में पहले से ही ऐसे संस्थित किसी अपील या कार्यवाही में अपील अधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ट) ''सदस्य'' से अपील अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं;

(ठ) ''पक्षकार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपील अधिकरण के समक्ष अपील या आवेदन प्रस्तुत करता है और इसमें प्रत्यर्थी सम्मिलित है;

(ड) ''विनिर्दिष्ट'' से इन नियमों द्वारा या इनके अधीन यथा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(ढ) ''अध्यक्ष'' से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 के अनुसार अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ण) ''प्रधान न्यायपीठ'' से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 की उपधारा 3 के अनुसार गठित प्रधान न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(त) ''नियम'' से केंन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात सीजीएसटी नियम कहा गया है) या संबंधित राज्य के माल और सेवा नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात एसजीएसटी नियम कहा गया है) या संध राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात यूटीजीएसटी नियम कहा गया है) अभिप्रेत है;

(थ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(द) ''एसजीएसटी'' से राज्य माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ध) ''राज्य न्यायपीठ'' से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 की उपधारा 4 के अनुसार गठित राज्य न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(न) ''यूटीजीएसटी'' से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(प) ''उपाध्यक्ष'' से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 की उपधारा 7 के अनुसार राज्य न्यायपीठों के उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम तथा नियमों में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम और नियमों में उनके हैं।